रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2019/माघ 4, 1940
No. 304] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2019/MAGHA 4, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

का.आ. 415(अ).—यतः,केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, और सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) और का.आ. संख्या 2753(अ) तारीख 21.11.2012, का.आ. संख्या 336(अ) तारीख 07.02.2013 और का.आ. संख्या 431(अ) तारीख 22.02.2013 द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, अधिसूचना का.आ. संख्या 353(अ) तारीख 03.02.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर 199.660 कि.मी. से 323.525 कि.मी. तक आगरा-ईटावा बाइपास सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सेक्शन" कहा गया है) को 6 लेन बनाने हेतु मैसेर्स ए. ई. टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, को शुल्क उदग्रहीत एवं संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया।

अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा अधिसूचना का.आ. 353(अ) तारीख 03.02.2016 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

अधिसूचना के पैरा 4 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"4. संविदा अनुसार परियोजना समापन की तारीख और वास्तविक रूप में परियोजना को समापन करने की तारीख तक हुए विलंब के लिए किसी प्रकार का प्रयोक्ता शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस नियम के प्रयोजन हेतु परियोजना के किसी अनंतिम समापन को परियोजना का समापन नहीं माना जाएगा।"

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/15-16/जीसी-आगरा-ईटावा बाइपास (बीओटी)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

S.O. 415(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 02(E) dated 29th December, 2014 & G.S.R. 220(E) dated 23rd March, 2015 (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification bearing No. S.O. 2753 (E) dated 21.11.2012, S.O. 336(E) dated 07.02.2013 and S.O. 431(E) dated 22.02.2013, the Central Government, vide notification S.O. 353(E) dated 03.02.2016, authorized M/s AE Tollway Private Limited to collect and retain the fee for the development of Six laning of Agra – Etawah Bypass section from Km. 199.660 to Km. 323.525 on National Highway No. 2 (hereinafter referred to as the "said section") in the State of Uttar Pradesh on Design, Build, finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published *vide* S.O. 353(E) dated 03.02.2016:—

Para 4 of the notification shall be read as follows:—

"4. No user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per agreement and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project".

[F. No. NHAI/13013/CO/15-16/GC- Agra-Etawah Bypass (BOT)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.24 22:26:33 +05'30'